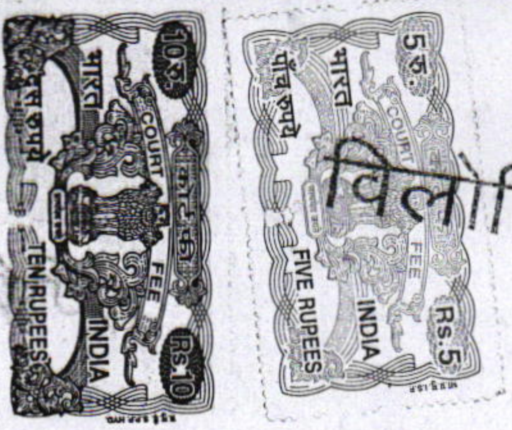

विलोपित

36

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   । २०१२ पुनरीक्षण – R 4251- II/12

श्री .... द्वारा आज दि. 13-12-12 को प्रस्तुत
13-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

काशीराम पुत्र भगवानदास, आयु ३६ वर्ष,
निवासी ग्राम देवरदा, तहसील वल्देवगढ़ जि. टीकमगढ़ म.प्र.
---- आवेदक

वनाम

हल्लू पुत्र मुलुअवा चढ़ार,
निवासी ग्राम देवरदा अगद,
तहसील वल्देवगढ़ जि. टीकमगढ़ म.प्र.
----. अनावेदक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९
विरुद्ध आदेश दिनांक १६-७-१२ पारित द्वारा राजस्व
निरीक्षक मण्डल, उरगुवा तहसील वल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक
६०-अ। १२। २०११-१२ वउनवान हल्लू वनाम म०प्र० शासन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ४८६। १।८ रकवा १-०० हे० भूमि स्थित ग्राम देवरदा अगड, तहसील वल्देवगढ़ के सीमांकन के संबंध में अनावेदक हल्लू निवासी ग्राम देवरदा अगड़ के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर संहिता की धारा १२९ के तहत राजस्व निरीक्षक, मण्डल डारगुंवा ने प्रकरण क्रमांक ६०अ-१२। ... वउनवान हल्लू वनाम म०प्र० शासन दर्ज करने का आदेश दिनांक ७-५-१२ को दिया, आगामी दिनांक १६-७-१२ एवं १२...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.- 4251-दो/2012 | जिला-टीकमगढ़

काशीराम विरूद्ध हल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल डारगुंवा, तहसील बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 60/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 07-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3 (आर.के. जैन) 26.4.19 सदस्य	